

09.05.2025 प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में तीन बार प्रार्थी पक्ष को आवाजे दिलवई गई। बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा